न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

वीरसिंह पुत्र भरती आयु 32 साल जाति मीना निवासी दीवानपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम वीरसिंह मुकदमा नं. 265 / 2019 निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम गैरई तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 23 / 1 रकबा 396–18 बीघा में से 3–00 बीघा किस्म गै. मु. बांध पर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार करौली द्वारा मुकदमा नं. 265 / 19 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील दिनांक 11.10.2019 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो कोई नोटिस दिया है ना ही नोटिस की उस पर कोई तामील कराई गयी है। इस प्रकार अपीलाण्ट पर असालतन तामील कराये बगैर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बगैर जबावदेही सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पारित करने में कानूनी भूल की है। निर्णय निरस्त होने योग्य है। जबकि विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि दण्डात्मक आदेश पारित करने से पूर्व पीडित व्यक्ति को सुना जाना चाहिये। निर्णय में दर्ज संवत् 2076 बाबत ही पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही उसकी जानकारी अपीलाण्ट को आज तक कराई गई। इस प्रकार पश्चातवर्ती अतिचार साबित मानने में कानूनी भूल की है निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफ बयान पटवारी हल्का पर भरोसा करने में कानूनी भूल की है। कोई जिरह का अवसर अपीलाण्ट को नहीं दिया गया है। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का मौके पर कोई कब्जा नहीं है ना कभी रहा। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कब्जा मानने में भूल की है। आज दिनांक को अपीलाण्ट का कोई कब्जा भूमि पर नहीं है कब्जा छोड चुका है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगाई जा सकती है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वक्त बहस बार–बार आवाल लगवाने पर भी अपीलाण्ट, एडवोकेट अपीलाण्ट तथा प्रतिनिधि अपीलाण्ट कोई भी उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय रेस्पोण्डेण्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम गैरई तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 23/1 रकबा 3–00 बीघा किस्म गै.मु. बांध पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ था। अपीलार्थी ने कोई जवाब पेश नहीं किया एवं मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कब्जा होना स्वीकार किया। पटवारी हल्का के बयान लिये गये। अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध आदेश दिनांक 11.10.2019 पारित किया गया है जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस प्रत्यर्थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम गैरई तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 23/1 रकबा 3–00 बीघा किस्म गै.मु. बांध पर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। अपीलार्थी को जारी नोटिस के क्रम में अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुआ एवं कोई जवाब पेश नहीं किया। अतिक्रमी द्वारा अदालत मातहत में उपस्थित होकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया है जो आदेशिका पर हस्ताक्षरों से प्रमाणित है। पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं। अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 11.10.2019 पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही होने के उपरांत भी अर्थात् अतिक्रमी के अपील पेश करने से पहले अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की जानकारी अपीलार्थी को होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.10.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: